

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक 231 / पी.ए. / प्र.अ. / 09
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31.03.09

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां परिक्षेत्र

समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ।


विषय:- पेयजल संकट के संदर्भ में समस्या के ग्रामवार आकलन एवं निराकरण की व्यवस्था
:::

जैसा कि आपको विदित है, प्रदेश में व्याप्त सूखे की स्थिति के संबंध में उच्चतम स्तर तक निरन्तर समीक्षा की जा रही है । कई बार समाचार पत्रों में कुछ विशेष ग्रामों के समाचार प्रकाशित होते हैं जिनमें ग्राम में व्याप्त गंभीर पेयजल समस्या का उल्लेख किया जाता है । यह अत्यन्त आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वयं अपनी ओर से इस प्रकार की ग्रामवार समस्या की जानकारी रखी जाए तथा पेयजल की स्थिति का निरन्तर अनुश्रवण किया जाए जिससे किसी भी ग्राम में गंभीर पेयजल समस्या होने पर विभाग द्वारा अपनी ओर से ही उपचार की कार्यवाही की जा सके एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जा सकें । जैसा कि विदित है, यदि अन्य किसी भी स्रोत से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सके तो जिला कलैक्टर के माध्यम से पेयजल परिवहन प्रारंभ कराया जाए । यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है एवं किसी भी ग्राम में इस प्रकार के पेयजल संकट की जानकारी प्राप्त होती है तो सभी संबंधित अधिकारियों को इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा ।

आप अपने स्तर से आवश्यक व्यवस्थाएं करें तथा इस प्रकार की व्यवस्था कराएं कि प्रत्येक जिले से निरन्तर इस प्रकार के ग्रामों की, उनमें आवश्यक कार्यों की तथा किये जा रहे कार्यों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा अत्यन्त अल्प समय में वस्तुस्थिति की जानकारी शासन को दी जा सके ।

अभी भी कई जिलों द्वारा सूखा राहत प्रपत्रों में निर्धारित तिथि को ऑनलाइन प्रगति की जानकारी नहीं दी जा रही है एवं इस कार्यालय से बार बार फोन करना आवश्यक हो रहा है । इतने आवश्यक अनुश्रवण कार्य को भी आपके स्तर से नहीं देखा जाना अत्यन्त आश्चर्यजनक है । कई प्रकरणों में कार्यपालन यंत्री द्वारा राइजर पाइपों तथा हैंडपंप उपलब्धता शून्य या अत्यल्प प्रविष्टि की जा रही है किन्तु ऐसी जानकारी भरे जाने पर भी आपकी ओर से कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं । पुनः निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी जिले से हैंडपंप स्पेयर पार्ट्स तथा राइजर पाइप की उपलब्धता शून्य ज्ञात होती है तो आप भी इस स्थिति के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होंगे अतः आप दैनिक आधार पर पूर्ण स्थिति पर निगरानी रखें ।

की गई कार्यवाही की जानकारी भेजें ।



(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता
भोपाल, दिनांक 31.03.09

पृ.क्र. / पी.ए. / प्र.अ. / 09
प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर
सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रमुख अभियंता